2021/[illegible]

महोदय,

प्रार्थीया कलावती पत्नी स्व0 बेगराज जाति जाट निवासी 13 बी ब्लॉक मस्जिद के पास रायसिंहनगर, ने एक प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र व आई.डी. प्रूफ एवं **दो गवाहो** के शपथ पत्र, रसीद गुम होने बाबत हलफनामा पेश कर निवेदन किया है कि उसके द्वारा दिनांक 05.04.2019 को एक बंद वसीयत(**शील्ड लिफाफा) सेफ कस्टडी में रखी गयी थी जिसे अब प्रार्थी बिना खोले वापिस लेना चाहता है।**

प्रार्थीया को गवाह श्री कुलदीप पुत्र बलवारी लाल एवं वेद प्रकाश पुत्र गजानंद ने पहचाना है। प्रार्थी एवं गवाहों की शिनाख्त श्री जितेन्द्र सरपाल अधिवक्ता, श्रीगंगानगर ने की है।

इण्डियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 44 के अन्तर्गत बंद वसीयत प्रार्थी को वापिस दिये जाने का प्रावधान है।

अतः पूर्व में बंद लिफाफा नियमानुसार फीस जमा करवाकर प्रार्थीया को वापिस दिया जाना प्रस्तावित है।

आदेशार्थ प्रस्तुत है। 10/6/21

जिला पंजीयक महोदय

1/6

Jitender Sarpal
(Advocate)